न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)मावली,उदयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 23/**18 (वि.प्रा.पत्र)**

1. श्रीमती लेहरीबाई पत्नी धनराज जणवा निवासी चायलों को खेडा तह. मावली।
2. श्री जीतमल पिता लछमण उर्फ लछीराम जणवा निवासी चायलों का खेडा तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम्

1. श्री शंकर पिता नवला जणवा निवासी चायलों का खेडा तह. मावली।
2. श्री हरिराम पिता उंकार जणवा निवासी चायलों का खेडा तह. मावली।
3. श्री जगदीश पिता उंकार जणवा निवासी चायलों का खेडा तह. मावली।
4. श्री छगनलाल पिता उंकार जणवा निवासी चायलों का खेडा तह. मावली।
5. श्रीमती मोतीबाई पत्नी काशीराम जणवा निवासी चायलों का खेडा तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।
7. पटवारी, पटवार हल्का ईण्टाली, तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 24.12.2019

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चायलो का खेडा पटवार क्षेत्र ईण्टाली में निम्न कृषि आराजीयात स्थित है :– परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 5185, 5188, 5189, 5204 किता 4 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 2 से 5 के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी हक से अंकित हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 5184, 5183, 5182 किता 3 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 के नाम पर स्वतन्त्र खातेदारी हक से अंकित हैं। नकल जमाबन्दी संलग्न हैं।
2. प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में वर्णित हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 2 से 5 की कृषि आराजीयात में आवागमन करने के लिए 20 फीट चौडा मार्ग मुख्य रास्ते अर्थात् गांव में आने जाने के सटमा दक्षिण दिशा से होता हुआ आगे हमारी जमीनों के

पश्चिमी से पूर्व दिशा की ओर आ रहा है जो राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 5204 व 5184 की सीमा तक राजस्व रेकार्ड में अंकन होकर रास्ते के नम्बर 5221 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा है तथा इसके हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 2 से 5 की परिशिष्ट अ में अंकित आराजीयात एवं विपक्षी सं. 1 की परिशिष्ट ब में अंकित आराजीयात के मध्य में अर्थात् परिशिष्ट अ, ब की बीच की सीमा (पाली) पर 20 फीट चौडा मार्ग बना हुआ है जिससे होकर हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 2 से 5 सदीप से उक्त वर्णित कृषि भूमि पर आ जा रहे है तथा इसी रास्ते से होकर हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 से 5 अपनी कृषि भूमि में कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर द्वारा लाते ले जाते रहे है लेकिन अभी कुछ समय पूर्व विपक्षी सं. 1 ने उसकी आराजी नम्बर 5182 में बने रास्ते पर अनाधिकार रूप से ताकत के बल पर सीमेन्ट के पिल्लर खडे कर लोहे की फाटक लगा रास्ते को अवरूद्व कर दिया और उक्त रास्ते से हम को हमारी जमीन में आवागमन करने से रोक रहा है जबकि विपक्षी सं. 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

3. यह कि हम प्रार्थीगण के पास परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है केवल मात्र कलम सं. 2 में वर्णितानुसार ही रास्ता सदीप से मौके पर चला आ रहा है लेकिन विपक्षी सं. 1 ने उसकी आराजी नम्बर 5184 में से होकर जाने वाले रास्ते पर लोहे की फाटक लगाकर रास्ते को अवरूद्व पर हमे हमारी जमीनों में आने जाने से रोक दिया है और समझाने पर भी नहीं मान रहा हैं। विपक्षी सं. 1 द्वारा हमे उक्त रास्ते से होकर हमारी जमीनों में आने जाने से रोक देने से हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 2 से 5 अपनी कृषि भूमि पर आ जा नहीं पा रहे है और न ही अपनी जमीनों की सार सम्भाल, हकाई, बाड वगैरा ही करवा सक रहे हैं जबकि हम सभी काश्तकार है और हमारी आजीविका का मुख्य साधन कृषि कार्य ही हैं।

4. यह कि वर्तमान में हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए एकमात्र रास्ता विपक्षी सं. 1 की आराजी नम्बर 5184 मे से होकर ही आगे हमारी जमीन तक जा रहा है जिससे होकर ही हम प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 2 से 5 अपनी जमीन में सुगमता पूर्वक अपनी कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी ट्रेक्टर द्वारा ला व ले जा सकेगें। इसके अलावा हमारी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए विपक्षी सं. 1 को आराजी नम्बर 5184 पर लगाई गई फाटक को हटाकर रास्ता देने बाबत् निवेदन किया किन्तु विपक्षी सं. 1 ने इन्कार कर दिया और मेरे

साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हुआ। इसलिए हम प्रार्थीगण की जमीनों में आवागमन करने के लिए परिशिष्ट अ व ब की बीच की सीमा पर बैलगाडी, ट्रेक्टर सुगमता पूर्वक आ जा सके उतनी चौडाई का रास्ता कायम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

5. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 08.01.2012 को संशोधन कर नयी धारा 251 (क) अन्तःस्थापित कर अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार कराने का अधिकार दिया गया हैं। यदि किसी खातेदार द्वारा अवरोध किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा आदेश प्राप्त कर अपने खेतो तक पहुंचने के लिए नया मार्ग बनाने एवं विद्यमान मार्ग को चौडा कराने का प्रावधान दिया गया हैं। इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

6. यह कि हम प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है क्योंकि हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 2 से 5 की जमीन में आने जाने का एकमात्र रास्ता विपक्षी सं. 1 की आराजी नम्बर 5184 में से होकर ही बना हुआ है जिससे होकर ही सदीप से आते जाते रहे हैं। हमारी जमीन में आने जाने का अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होने की वजह से वर्तमान में हम अपनी जमीन में जाकर खेतो की साफ सफाई, बाड वगैरा भी नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसी अवस्था में हम प्रार्थीगण की जमीनों तक पहुंचने के लिए परिशिष्ट अ व ब में अंकित कृषि भूमि की बीच की सीमा पर नया मार्ग कायम करया जाना न्यायसंगत होकर आवश्यक है और उपरोक्तानुसार भूमि में नया मार्ग कायम करना सुविधाजनक भी हैं। उपरोक्तानुसार मार्ग कायम करने से विपक्षीगण को किसी तरह की कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी। बल्कि नया मार्ग कायम नहीं करने से हम हमारी कृषि भूमि में आवागमन नहीं कर सकेंगे और सदैव के लिए हमारी जमीनों के उपयोग उपभोग से महरूम हो जावेंगे जिससे हम प्रार्थीगण को अतुलनीय एवं अपरिमित हानि होगी जिसका आकंलन किसी भी सूरत में किया जाना सम्भव नहीं होगा। सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

7. हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 20.03.18 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी सं. 1 को हम प्रार्थीगण को आराजी नम्बर 5184 में बने रास्ते से आवागमन से रोक दिया जिस पर हम प्रार्थीगण ने हमारी कृषि भूमि तक

पहुंचने के लिए रास्ता देने बाबत् निवेदन किया तो विपक्षी सं. 1 ने इन्कार कर दिया और हमारे साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हुआ। उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

8. अतः प्रार्थना है कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावे कि :– (अ) प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट (अ) में अंकित आराजी पर पहुंचने तक के लिए परिशिष्ट (अ–ब) में अंकित हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 से 5 की खातेदारी की भूमि के मध्य की सीमा (पाली) पर 20 फीट चौडा (ट्रेक्टर, बैलगाडी सुगमता पूर्व गुजरने की चौडाई में) मार्ग कायम किया जावें एवं उक्त भूमियों में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शें में रास्ता के रूप में दरामद व तरमीम किये जाने हेतु विपक्षी सं. 6, 7 को आदेशित किया जावें। (ब) यह कि विपक्षी सं. 1 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावेकि विपक्षी सं. 1 हम प्रार्थीगण को उक्त रास्ता से होकर हमारी कृषि भूमियों में शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे और कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी ट्रेक्टर द्वारा लाने ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करे, उक्त रास्ता को न अवरूद्व करे, न बाधित करे, प्रार्थीगण को उक्त मार्ग का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट, परिवारजन इत्यादि के ही करावें। (ग) यह कि अन्य दाद माननीय न्यायालय उचित समझे वह प्रार्थीगण को प्रदान कराई जावें। ताईद में प्रार्थीगण का शपथ पत्र पेश हैं।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2, 4, 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। विपक्षी सं. 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 5188, 5189, 5204 की प्रार्थी सं. 1 श्रीमती लहरबाई खातेदार नहीं है, केवल जीतमल 1/2 हिस्से एवं हरीराम, जगदीश, छगनलाल पिता उंकार 1/2 हिस्से के खातेदार है। प्रार्थी सं. 1 लेहरीबाई ने उक्त जमीन अपने स्वयं के नाम दर्ज होने का मिथ्या कथन अंकित किया हैं। केवल मात्र 5185 की लेहरीबाई सहखातेदार हैं। प्रार्थीगण ने इस मामले में सभी खातेदारों को पक्षकार मुकदमा

नहीं बनाया हैं। आराजी नम्बर 5204 रास्ते के मुहाने पर हैं अर्थात् 5204 में जाने के लिए रास्ता हैं।

10. आराजी नम्बर 5204 व 5184 की सीमा तक राजस्व रिकार्ड में रास्ता होना स्वीकार हैं। शेष तथ्य गलत होकर अस्वीकार हैं। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र में कथन किया जा रहा है कि आराजी नम्बर 5204 तक रास्ता है और राजस्व रिकार्ड (नक्शें) में भी आराजी नम्बर 5204 तक रास्ता दर्ज हैं। साथ ही आराजी नम्बर 5204 के पूर्व दिशा में आराजी नम्बर 5185, 5188, 5189 व 5456 है व उसके बाद रास्ता है जो राजस्व नक्शा ट्रेस एवं राजस्व रेकार्ड में स्पष्टतः दर्ज है अर्थात् आराजी नम्बर 5204 के छोर पर रास्ता है और दुसरी और आराजी नम्बर 5456 के छोर पर रास्ता है और दोनो के मध्य आराजी नम्बर 5185, 5188, 5189 है जिनके प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 2 से 5 सहखातेदार हैं। राजस्व नक्शा ट्रेस की प्रति साथ संलग्न है जो जवाब का अभिन्न अंग हैं। मुझ विपक्षी के खेत में प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 2 से 5 का कभी कोई रास्ता नहीं रहा हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 2 से 5 राजनैतिक एवं आर्थिक रूप से सु.दृढ है जिससे उन्होने पटवारी हल्का ईण्टाली एवं भू अभिलेख निरीक्षक ईण्टाली से भी यह रिपोर्ट करवा दी कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 5185, 5188, 5204 में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं शंरकलाल (मुझ विपक्षी सं. 1) की आराजी नम्बर 5184, 5183 के अलावा कोई न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। पटवारी हल्का ईण्टाली एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है कि राजस्व रिकार्ड (नक्शें) को बिना देखे रिपोर्ट की गई है जिसे देखकर यह प्रतीत होता है कि उक्त रिपोर्ट किसी लोभ व लालच के वशीभूत होकर की है। प्रार्थीगण जानबुझकर मेरी भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग में लेना चाहता है और मेरे नाम पर वर्णित कृषि भूमि आराजीयात से मुझे वंचित करना चाहते हैं। जबकि प्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

11. आराजी नम्बर 5204, 5185, 5188, 5189, 5456 के दोनो और रास्ते मौजुद है। आराजी नम्बर 5204 रास्ते के मुहाने पर उसके पूर्व दिशा में आराजी नम्बर 5185 के बाद 5188 के बाद 5189, के बाद 5456 है व उसके बाद रास्ता है अर्थात् दोनो और रास्ता हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 2 से 5 आर्थिक, राजनैतिक रूप से सुदृढ है जिससे धनबल एवं बाहुबल के जरिये मुझ विपक्षी की आराजीयात में रास्ता निकलवाने पर आमादा है। जबकि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 2 से 5 द्वारा

2नो–3नो फसले ली जा रही हैं। किसी प्रकार का रास्ते का व्यवधान नहीं हैं। मुझ विपक्षी की आराजीयात के चारों तरफ से कांटो की बाड एवं तारबन्दी से पैक कर आने जाने हेतु फाटक लगा रखी हैं।

12. यह कि अगर कोई मार्ग किसी की भूमि पर जाने हेतु न हो तो 251 ए के तहत् आवेदन किया जा सकता हैं। लेकिन यहां पर जिन आराजीयात पर जाने हेतु दावा लाया गया है उक्त आराजीयात के दोनो छोर पर रास्ते है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 2 से 5 ने गलत एवं मिथ्या तथ्य बताकर प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। साथ ही दो रास्ते उक्त आराजीयात पर जाने आने हेतु विद्यमान है। इसलिए सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर मुझ विपक्षी के पक्ष में हैं।

13. प्रार्थीगण को हमारे खिलाफ कभी कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं हुआ हैं क्योंकि हमारी जमीन में कभी कोई रासता ही नही रहा हैं। प्रार्थीगण को मेरे खिलाफ कभी कोई हेतुक पैदा नहीं हुआ है क्योंकि मेरी जमीन में कभी कोई रास्ता नहीं रहा हैं।

14. अन्त में (अ,ब,स,द) प्रार्थीगण की प्रार्थना है जो गलत होकर अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्व गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सव्यय खारिज होने योग्य हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत एवं वेग तथ्यों पर आधारित होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

15. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण माननीय न्यायालय में दाद प्राप्ति हेतु क्लीन हेण्ड से नहीं आये हैं। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में सभी कथन मिथ्या एवं कपोल कल्पित अंकित किये हैं। प्रार्थीगण की आराजीयात पहुंच मार्ग (रास्ते) पर ही है एवं दोनो छोर पर रास्ते है अर्थात् दो रास्ते है। इसलिए धारा 251 ए का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

16. उक्त रास्ते के लिए प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 2 से 5 ने अपास में हम सलाह होकर एकतरफ माननीय न्यायालय आपमें धारा 251ए में रास्ते का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है और दूसरी तरफ सिविल न्यायालय में सुखाधिकार के तहत् दावा कर रखा है जिसमें प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण पक्षकार हैं।

17. यह कि पटवारी हल्का ईण्टाली एवं भू अभिलेख निरीक्षक ईण्टाली द्वारा लोभ लालच के वशीभुत होकर गलत व राजस्व रिकार्ड (नक्शा ट्रेस) के विपरित जाकर

कानुनन गलत रिपोर्ट करने के लिए इनके विरूद्व विभागीय कार्यवही की जानी चाहिए व पृथक से आपराधिक मुकदमा न्यायालय को दर्ज करवाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी गरीब असहाय व्यक्ति के साथ खिलवाड न हो सके।

18. यह कि आराजी नम्बर 5204, 5185, 5188, 5189 में जाने–आने हेतु 5204 रास्ते के मुहाने पर है साथ ही आराजी नम्बर 5189 के सटमा 5456 के बाद रास्ता हैं। इसलिए धारा 251 ए के तहत् प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पेश करने अथवा किसी तरह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

19. यह कि इस मामले में प्रार्थीगण ने सभी खातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है इस आधार पर भी हस्तगत प्रकरण चलने योग्य नहीं हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि धारा 251 ए राज. टि.एक्ट का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे एवं पटवारी हल्का ईण्टाली एवं भू अभिलेख निरीक्षक ईण्टाली के विरूद्व सख्त से सख्त कार्यवाही कर मुझ विपक्षी को धारा 35 ए जा.दी. के तहत् प्रार्थीगण से 50,000/– पचास हजार रूपया एवं पटवारी हल्का ईण्टाली एवं भू अभिलेख निरीक्षक ईण्टाली से 50,000/– पचास हजार रूपये हर्जाने के रूप मे दिलाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

20. हमने प्रकरण में तहसीलदार मावली से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की, जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट पत्र क्रमांक 902 दिनांक 14.06.18 पर विपक्षी सं. 1 को आपत्ति होने से पुनः नई रिपोर्ट प्राप्त की गई जो तहसीलदार मावली द्वारा पत्र क्रमांक 1937 दिनांक 28.08.19 से प्रस्तुत की गई। जो शामिल पत्रावली हैं।

21. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर RRT 2015 (2), RRT 2017 (2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कायम करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर RRT 2017 (2) Page 1088, RRT 2016 (1) Page 649, RBJ 2019 Page 443 प्रस्तुत कर उक्त रास्ता प्रार्थीगण के मुहाने पर होने से प्रार्थीगण उसमें से होकर आ जा सकते हैं। पृथक से रास्ता कायमी की आवश्यकता नहीं हैं, प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

22. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

   प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौजा चायलों का खेडा में स्थित प्रार्थीगण की भूमि आराजी नम्बर 5185, 5188, 5189 व 5204 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की भूमि आराजी नम्बर 5184, 5183, 5182 में से 20 फीट चौडाई का रास्ता कायम कराना चाहते है क्योकि प्रार्थीगण उक्त रास्ते से विगत कई वर्षों से आ जा रहे हैं, लगातार आवागमन होने के कारण एवं विपक्षीगण द्वारा तारबन्दी व फाटक लगा आवाजाही बन्द करने के कारण रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होना बताया हैं, जबकि तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि विपक्षी सं. 1 की आपत्ति अनुसार प्रार्थीगण की आराजी रास्ते से आपस में जुडे होने से प्रार्थीगण उस में से रास्ता बनाकर आ जा सकते हैं।

2. क्या प्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

   तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पूर्व में जो रास्ता उपयोग में आ रहा था उसे ही रास्ता कायमी के लिए प्रस्तावित किया गया हैं। जो न्यूनतम दूरी का हैं।

3. यदि प्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं तो वह प्रस्तावित करें।

   तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में क्रम सं. 3 में अंकित किया है कि विपक्षी सं. 1 की आपत्ति अनुसार प्रार्थीगण की भूमि प्रस्तावित रास्ते के सटमा हैं। इसलिए प्रार्थीगण उसमें से रास्ता बनाकर आ जा सकते हैं।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्याकंन प्रस्तुत करें।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण विपक्षीगण के आराजी नम्बर 5184 में से 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 5183 में से 9 बिस्वा किता 2 कुल रास्ते का रकबा 15 बिस्वा जो 20 फीट चौडा एवं 673 फीट लम्बा होकर कुल 13,460 वर्गफीट भूमि रास्ते में आ रही है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 1,08,027/– अक्षरे एक लाख आठ हजार सत्ताईस रूपयें प्रतिबीघा हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 15 बिस्वा की कुल कीमत 81,020/– अक्षरे इक्कासी हजार बीस रूपयें होना बताया हैं।

23. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी आराजी नम्बर 5185, 5188, 5189 व 5204 में आने जाने हेतु जो रास्ता विगत वर्षों से आवागमन के रूप में विपक्षीगण की आराजी नम्बर 5184, 5183, 5182 में उपयोग होता रहा हैं। उसे ही रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में रास्ता कायम कराना चाह रहे हैं। विपक्षी सं. 1 की आपत्ति है कि उक्त रास्ते से सटमा प्रार्थीगण की स्वयं की भूमि हैं। इसलिए प्रार्थीगण अपनी भूमि में से होकर आ जा सकते हैं। विपक्षीगण की भूमि में से रास्ता कायम नहीं किया जा सकता हैं। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन एवं बिन्दु सं. 3 अनुसार नजरी नक्शें के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण की भूमि रास्ते के सटमा हैं और प्रार्थीगण मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए अपनी भूमि में से होकर आ जा सकते हैं। इसके लिए उन्हे सशूल्क रास्ता कायम कराने की भी आवश्यकता नहीं हैं। रहा प्रश्न विपक्षीगण की भूमि में से पूर्व में विगत वर्ष से आवागमन हेतु रास्ते का प्रश्न उक्त रास्ता कही पर भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हैं। विपक्षीगण खातेदार हैं। इसलिए जब प्रार्थीगण की भूमि उक्त रास्ते के सटमा ही हैं और वह मुख्य सडक के पहुंच मार्ग तक भी हैं तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण बिना किसी विघ्न के र्निवाद रूप से अपनी भूमि में से रास्ते तक आ जा सकते हैं।

24. इसी तथ्य को पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट एवं नक्शा के आधार पर समझाया जा सकता हैं, जैसा कि निम्नलिखित नक्शें में A से B तक प्रार्थी की आराजी हैं, जिसके शुरू व अन्त में रास्ता जो C से D हैं, जो प्रार्थीगण की आराजीयात को जोडता हैं। विपक्षी की आराजी नम्बर E से F हैं। चूंकि जब प्रार्थीगण के आराजी प्रारम्भ होने से पूर्व रास्ता है एवं आराजी समाप्त होने के बाद भी रास्ता हैं तो

ऐसी स्थिति में विपक्षी की खातेदारी की भूमि में से रास्ता लेने का कोई औचित्य नहीं हैं।

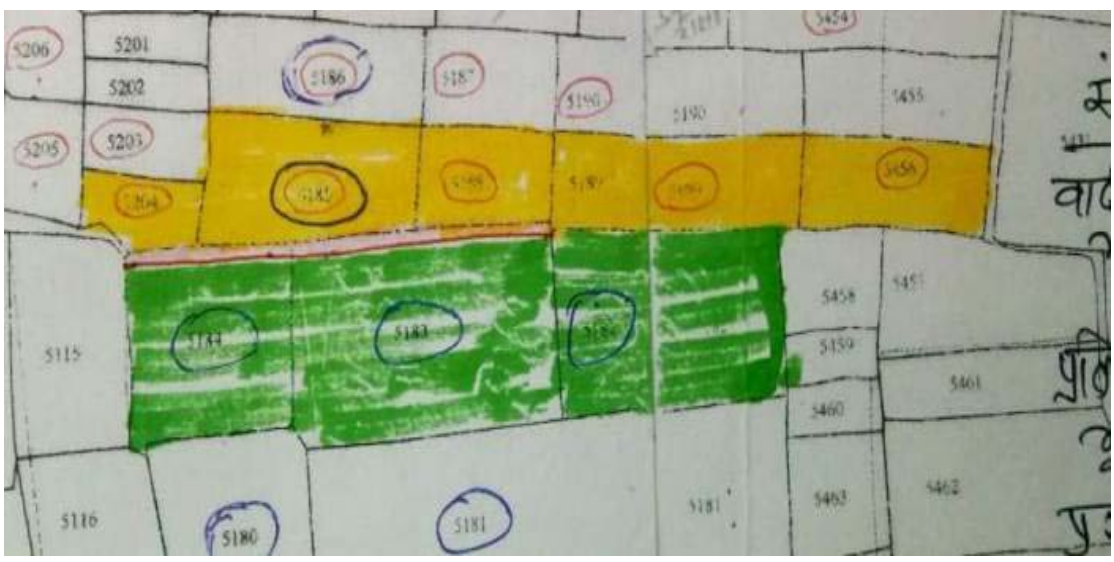

25. चूंकि प्रार्थीगणों को मुख्य सडक तक पहुंचने के लिए अपनी भूमि में से होकर आने जाने की व्यवस्था उपलब्ध है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजीरें अनुसार इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

—: : <u>आदेश</u> : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.01.08 17:22:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: